P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आधुनिक भारतीय परिवेश में दहेज़ प्रथा की समस्या एवं समाधान

अवधेश कुमार
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
रॉयल एजुकेशनल इन्सटीट्यूट,
गाजियाबाद, भारत

सारांश

हमारे समाज में दहेज़ प्रथा एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन कैंसर बीमारी की तरह फ़ैल रहा है। दहेज़ प्रथा प्राचीन कल से चली आ रही है। प्रस्तुत अध्ययन में दहेज प्रथा की समस्या को समझने तथा इसके समाधान हेतु अपने विचार प्रकट किये है। पहले भी दहेज़ प्रथा पर काफी अध्ययन हो चुके है लेकिन उनमे से कुछ प्रमुख अध्ययनों को समझते हुए शोध करता ने नए निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है जिनसे इस दहेज़ प्रथा जैसी समस्या को समाज से पूर्ण रूप से समाप्त करने में सहायता तथा दहेज़ प्रथा से ग्रसित महिला को लेकर संविधान के अन्तर्गत कानून में क्या क्या प्रविधान है।

दहेज और उसकी जुड़ी समस्याएं अकेले भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं है। हमारे वैदिक संस्कारो में कन्यादान होता है, लेकिन कोई भी दान बिना दक्षिणा के रहता है। इसी स्वैच्छिक वर दक्षिणा ने समय के साथ दानवीय दहेज का रूप धारण कर लिया। अफ़रीकी देशों में विवाह में इस्लामी तौर तरीके अपनाये जाते रहे हैं, जिसके तहत दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे के परिवार वालों को घरेलू समान और नकद दहेज में देते रहे है।

दहेज प्रथा की शुरुआत इटली की राजधानी रोम में हुआ। कन्यापक्ष धन, आभूषण और वस्त्र दहेज में देता था। बाद में इसे वह कानून से भी मान्यता मिल गयी। शादी टूटने पर यह धन स्त्री को लौटना होता था। अगर स्त्री की मौत हो जाये तो उसके घर में आया दहेज़ उसके वारिश को मिल जाता था। दहेज़ और उसकी जुड़ी तमाम बीमारियां वैश्विक है। इसी कारण समाधान की कोशिश भी उसी स्तर पर होती रहती है।

दहेज़ जैसे महाभारत पर विचारो का मंथन इसलिए भी जरुरी है क्योंकि संस्कारो में शादियाँ बीतने के बाद सड़ांध की के चंद संहार नही किया जा सकता है। दहेज़ का दर्द तो आजादी के पहले से सताता रहा है। सिंध अब (पाकिस्तान का हिस्सा) में दहेज़ के खिलाफ 1939 में ही देती लेती कानून बना था। आजादी के बाद सबसे पहले बिहार में 1950 में दहेज़ प्रतिबन्ध कानून बना। उसके बाद 1958 में आन्ध्रप्रदेश में दहेज़ निषेध कानून लाया गया। आजाद भारत की पहली लोकसभा में ही गैर–सरकारी विधेयक के जरिये दहेज के खिलाफ दर्द उभरा और उछला। सरकार ने आश्वासन के बाद मामला हिन्दू उत्तराधिकार कानून के पास होने तक टाला। करीब 6 साल बाद 24 अप्रैल 1959 को दहेज़ निषेध विधेयक कानून लोकसभा में पेश हुआ। बहस के बाद विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के हवाले किया गया। पर समिति की रिपोर्ट से संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों ने असहमति जाहिर की। मामला दो वर्ष तक चला और अंत में दोनों सदनों की 6 और 9 मई , 1961 को हुई संयुक्त बैठक में विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति ने 20 मई 1961 को इसे स्वीकृति दे दी।

सामान्यतया दहेज़ प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। माता–पिता की दृष्टि में कन्या गंभीर आर्थिक उत्तरदायित्व स्वरूप होती थी। विवाह का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया जाता था, जिसका व्यय कन्या के कुटुंब को वहन करना पड़ता था तथा दहेज़ का आयोजन भी करना परता था, वर का पिता वधु के लिए आभूषण तथा वस्त्र उपहार स्वरूप लाता था। दोनों पक्ष यह बिना किसी दबाव के व राजी खुशी व अपनी क्षमता से करते थे। पर जब से वर–वक्ष उपहारों की मांग करने लगा, तब से दहेज़ जैसी घृणित ध्वनि झंकृत हुई।

मुख्य शब्द : दहेज़ प्रथा, प्राचीन काल, कानून, स्वरूप, कन्या, सरकार, गंभीर।

प्रस्तावना

भारत की ममतामयी महिलाये, अपना सब कुछ अपने पाती परमेश्वर पर लुटाकर भी घर की चार दीवारी में सुरक्षित नही रह पति है। अगर शहर में कोई महिला चौपहिया गाड़ी दहेज़ में न ला पाने के कारण जलायी जा रही है। तो गांव में वही महिला दहेज़ में भैस न ला पाने के कारण जलायी जा रही है। यानि की महिला की कीमत एक भैंष (60,000 रूपये) से भी कम है। दहेज उत्पीड़न का शिकार इन महिलाओ में अनपढ़ और भोली भाली लड़किया है, तो पढ़ी लिखी और तेज–तर्रार लड़किया भी इसमें अछूती नही है। इन पीड़ितों में बर्तन–कपडे धो कर जीविका चलाने वाली माँ की बेटिया है तो आलिशान फर्म के मालिक की बेटिया भी इसकी शिकार है।[4]" एक सर्वेक्षण जो 19 राज्यों के दस हजार परिवारों के बीच किया गया।

उसके नतीजे चौकाने वाले है दहेज़ की घटनाये विगत दशक में न सिर्फ बढ़ी है, वरन इसने देश के हर धार्म, जाती और वर्ग में पैठ बना ली है दहेज़ प्रथा आदिवासियों में भी प्रचिलित हो चुकी है। तिर्पुरा में जमाई पंथ नामक परम्परा में वर को शादी से पहले वधु के घर नियत समय तक कार्य करके वधु का मूल्य चुकाना पड़ता है और अपने को योग्य साबित करना पड़ता है। असम और उड़ीसा में भी वधु की कीमत चुकाने की प्रथा थी, लेकिन 'स्कूल ऑफ वूमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट' के एक सर्वेक्षण में कामरूप बरपेटा, धारनी, डिब्रूगढ़, सोनितपुर की 1000 सामान्य तथा 687 अनुसूचित जाती, जनजाति की महिलाओ ने स्वीकार है की अब स्थिति उलट गयी है। महाराष्ट्र के वर्ली समुदाय के तथा दक्षिण में कुँवर कासरगाड़, मालाप्पुरम सरीखे आदिवासी जिलों में दहेज़ खूब प्रचलन में है''[4]।

पाकिस्तान में वुमेंस एसोसिएशन आलीशान शादियाँ और दहेज़ की भारी मांग रोकने में लगी है लगभग 4 वर्ष पहले बांग्लादेश (1999) के सतकीरा जिले में 50,000 लड़कियाँ दहेज़ के कारण अविवाहित थी दिनाजपुर गाँव में 25000 नव विवाहितो का तलाक सिर्फ इस कारण हो गया की दहेज़ कम था।

श्रीलंका के कानून में बेटियों को पिता की सम्पत्ति में भी हिस्सा दिया जाने का विधान है, सिहली, तमिल और यहाँ के मुस्लिम समुदाय में भी अपनी तरह की दहेज़ परम्परा है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही है। चीन में भी भारत की ही तरह रोजमर्रा के सामान, बर्तन तथा खासतौर पर विशेष वाउल दिया जाता है।[4]

आंकड़े बताते हैं जिस देश में हर 87 मिनट पर एक दहेज़ प्रताड़ना या हत्या का मामला दर्ज होता है सन 1982 में 389, 1985 में 1912, 1989 में 4006, 1992 में 6917, 2000 में 6222 तथा 2002 में 6000 दहेज़ हत्याएं हुई। यह सरकारी आंकड़े है। एक अन्य आंकड़े के अनुसार दहेज़ प्रताड़ना तथा हत्याओं के कुल 25000 मामले प्रतिवर्ष देश में होते है।"[4]

स्त्री की वेदना और संवेदना के मर्म साक्षात्कार को करती हुई एक रुसी कवियत्री मरीना त्स्वेता वेवा और हिन्दी कवियत्री सविता सिंह को साथ साथ पढ़ा जा सकता है – [7]''कायर, गोबर या भूसा बन जाने पर/ हममे से किसका क्या महत्व ? नही रोयेगी हमारी कविताये, परायी लगेगी उन्हें हमारी कब्रे (त्स्वेता वेवा पेज 256)"[7]

दहेज़ प्रथा भी कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख उत्तरदायी है। वर्तमान में बाजारवादी एवं भौतिकवादी संस्कृति ने दहेज़ को और अधिकार भयावह बना दिया है घनश्याम के अध्ययन से स्पष्ट होता है [1] "कि किसी दहेज़ रूपी राक्षस के कारण कन्याओ का जन्म होने परिवार के लिए बोझ बन गया है बेटी के पैदा होने के कारण परिवार गमगीन हो जाता है यहाँ तक की बेटी के जन्म होने के बाद माँ को दोषी समझा जाता है और न चाहते हुए भी मां को बेटी के जन्म लेने से पूर्व गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है।"[1]

जोया जैदी ने अपने लेख में लिखा है [2] "कि पुरुष महिलाओ को हमेशा एहसास कराने में कामयाब रहे है की वे शारीरिक मानसिक ओर बौद्धिक स्तर पर पुरुषो की अपेक्षा कमजोर है इस प्रकार इन कमजोर और द्वितीय श्रेणी के नागरिक रूपी नारी को तमाम अधिकारों से वंचित किया गया है।"[2] वे समाज पर एक बोझ के रूप में समझी गयी है जिसके कारण भ्रूण हत्या हुए वर्ष 2014–15 के वार्षिक–हेल्थ सर्वे के दौरान खुलासा किया गया है[3] "कि हरियाणा राज्य में बेटा-बेटियाँ के अनुपात में सुधार नही आया है अनुपात बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है वर्ष 2014–15 में में 1000 पुरुषो पर 804 बेटियाँ रह गयी है।''[3]

क्या कहता है कानून

''दहेज़ निषेध अधिानियम 1961 के अनुसार दहेज़ लेने देने या इस लेन–देन में सहायता प्रदान करने पर 5 वर्ष की कैद और 15000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।"[6]

दहेज़ निषेध अधिानियम 1961 के के महत्वपूर्ण प्रावधान

दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज़ (निषेध) अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 पर 1986 के तौर पर संशोधित किया गया। जिसमे दहेज़ प्रथा का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति।[5]

1. विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को
2. विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या
3. विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक द्वारा
4. शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपयुक्त पक्षों से सबंधित हो जिसमें मेंहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती। अगर व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लों (शरिया) लागू होता है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 में दण्डनीय हैं

1. दहेज लेना।
2. दहेज देना।
3. दहेज लेने और देने के लिए उकसाना।

''वधु के माता पिता या अभिभावाकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग।''[5]

इन सब के अलावा भी हमारे देश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 A में किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना जिसमें 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है

इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत हैं

1. जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का हैं जिससे उस स्त्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा करने की संभावना है या
2. किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा हो।

498 A धारा सन 1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्त्रियों के दहेज मृत्यु स़म्बंधित अपराध से निपटाने हेतु निर्मित की गई। इस धारा का मुख्य उददेश्य किसी महिला को उसके पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करना हैं

आईपीसी की धारा 406 के तहत लड़की के दहेज का सामान हड़पने पर उसके पति और ससुराल वालों को 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता हे 1961 के बनाए गए दहेज कानून में संशोधन करके 1986 में धारा 304 B के साथ जोड़ा गया यह धारा विशेष रूप से दहेज हत्या के मामलों में लागू होती है

अन्तराष्ट्रीय प्रयास के अन्तर्गत 1993 मे स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी अगेंस्ट डावरी एवं ब्राइड वर्निंग इन इंडिया इन कारपोरटेड जो लंदन के हावर्ड स्कूल और ओरिस्ट एवं अफ्रीकन स्टडीज से संबंधित है, की स्थापना अमेरिका में हुई थी यह दहेज प्रताड़ित महिलाओं को चिकित्सक, विधायी न्यायिक सहायता तथा पुनर्वासंरक्षण की व्यवस्था करती है दहेज समस्या से निपटने के लिए यह संस्था विस्तृत योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहीं है।

दहेज़ प्रथा रोकने हेतु सुझाव

दहेज़ निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए इसमें और भी स

संशोधन संसद द्वारा होने चाहिए तथा इसके साथ–साथ विवाह को पंजीकरण करने के साथ–साथ बेटी को दिए जाने वाले सामान और उपहारों का भी पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि तलाक की नौबत आने पर उन उपहारों को वापस करवाने मे मदद मिलेगी इसके अलावा दहेज़ प्रथा की समस्या से निपटने के लिए हमारे समाज को भी अपने–अपने बच्चों को भी इस दहेज़ प्रथा से मुक्ति के लिए उनकों जागरूक करना चाहिए। और इसके साथ–साथ दहेज़ प्रथा को मुख्यसमस्या जाति व्यवस्था है। इस जाती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिससे दहेज़ प्रथा धीरे–धीरे स्वयं समाप्त हो जाएगी।

साहित्यावलोकन

महिलाओं की अनेको समस्याओ पर काफी अध्ययन हुए है। दहेज की समस्या से सम्बंधित अनेक पुस्तके हुयी है महिला सम्बंधित समस्याओ पर प्रकाशित कुछ प्रमुख पुस्तके है :– ''क्राइम अगेनस्ट वुमैन'', ''आहुजा राम'', ''वाइलेंस अगेनस्ट वुमैन'', ''आहुजा राम'', ''क्राइम अगेनस्ट वुमैन'', आगे ज० पी० रायलेंस इन द फैमिली बोरलैण्ड मौरिकी आदि|

अध्ययन के उद्देश्य

1. दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को ज्ञात करना।
2. दहेज प्रथा के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना।
3. दहेज निरोधक अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. दहेज की समस्या के लिए समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

दहेज प्रथा समस्या से निबटने के लिए हालांकि भारत में कुछ सामाजिक और जातियों की संस्थाएं सक्रिय है वे सामूहिक विवाह का आयोजन भी करती है परन्तु उनमें दहेज पिछले दरवाजें से अक्सर घुस जाता है अगर दहेज लेने वाले का सामाजिक बहिष्कार होने लगे विवाह समारोह में बारातियों की संख्या सीमित हो जाएं सजावट और भोज पर लगाम लगे। तो शायद दहेज का दर्द कुछ कम हो। दहेज के खिलाफ बोलना और लिखना सभी को अच्छा लगता है परन्तु मात्र इसमें सदियों के संस्कार और वह भी कुछ तकाजों के कारण दहेज दानव को मरने नहीं देंगे।

एक सदी से चले आ रहे इस अपराध की जड़ कहां है इसके दोषी हैं उनकी पहचान कैसे हो और कटघरे में कैसे खड़ा किया जाए आदि सवालों का सही जवाब तलाशने का यही सही वक्त है जरूरत है कि हम दहेज को बड़े कैम्पस पर देखें अच्छा लगता।

अन्त टिप्पणी

1. *घनश्याम डी0एम0 फीमेल फीटि साइड एंड डायरी सिस्टम इन इडिया इंटरनेशनल वूमेंस कांन्फ्रेंस 2000*
2. *जेम्स कुक यूनिवर्सिटी आस्ट्रेलिया उद्धत समाज विज्ञान शोध संस्थान वर्ष 12 अंक, 1पेज 58.*
3. *जैदी जोया फीमेल फीटी साइट इन इंडिया हयूमिनरूट आउट लुक अंक 11 (11) 2008 पेज 7*
4. *दैनिक पत्रिका 3 जुलाई 2015 हरियाणा पेज–1*
5. *भारत की सामाजिक समस्याएं क्रांनिकल सम्पादकीय समूह वर्ष 2006 पृष्ट 210 5.भारतीय दंड संहिता प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्रा*
6. *दहेज निषेध अधिनियम 1961 बेकर स्वर*